न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/4882/2003/जैसलमेर

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पोकरण

–अपीलार्थी

बनाम

अली खां पुत्र वादे खां मृतक जरिये वारिसान–
1. हासम खां
2. रमजे खां उर्फ हकीम खां पुत्रगण अलीखां
3. नोगे खां पुत्र अली खां मृतक जरिये वारिसान–
3/1. अकबर खां
3/2. पीरू खां
3/3. फतेह खं
3/4 मोहमार खां पुत्रगण नोगे खां
4. सायरे खां पुत्र अलीखां मृतक जरिये वारिसान–
4/1. दोने खां पुत्र सायरे खां
4/2. समदो बेवा सायरे खां
4/3. गजरो पुत्री सायरे खां
5. अमरी पुत्री अली खां
6. हक खां उर्फ हकीम खां पुत्र अली खां
   समस्त जाति मुसलमान निवासीगण भणियाणा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री वी.पी. सिंह, राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री वी.एस. राठौड, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 21.01.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील अधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर मु0 बाडमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–05–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण के पूर्वज वादी अलीखां ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के न्यायालय में एक राजस्थान काश्तकारी अधिनिनयम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा भणियाणा के खसरा नम्बर 1646 रकबा 224 बीघा जो वादी की पट्टेशुद्धा भूमि खेत 1596 के पूर्व में आई है और उक्त भूमि उनके पट्टेशुद्धा खेता का ही भाग है, जिस पर पीढियों से काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु बन्दोबस्त विभाग की गलती से उक्त भूमि उनके नाम दर्ज नहीं हुई। अतः विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विवाद्यक कायम कर उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर वादी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को निर्णय दिनांक 04–06–1977 से डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु कलक्टर जैसलमेर की ओर से रेफरेन्स संख्या 77/85 प्रस्तुत किया, जो निर्णय दिनांक 09–04–1990 से स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पोकरण को प्रतिप्रेषित किया। राजस्व मण्डल द्वारा रेफरेन्स प्रकरण में पारित निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 1976/1990 प्रस्तुत की। माननीय उच्च

न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका को निर्णय दिनांक 30–01–1997 से निर्णीत करते हुए राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखा एवं मूल वाद को तीन माह में निस्तारित करने के निर्देश दिये। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, पोकरण द्वारा प्रकरण संख्या 31/1997 दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 25–09–2000 से दावा खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध वादी प्रत्यर्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर मु. बाडमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–05–2003 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–09–2000 को निरस्त कर वादी प्रत्यर्थीगण के वाद को डिक्री कर विवादित आराजी का प्रत्यर्थीगण को खातेदार घोषित कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर यह अपील प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर प्रत्यर्थीगण उनके पूर्वजों के समय से सम्वत् 2012 में काबिज काश्त नहीं होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किसी भी प्रावधानानुसार खातेदार प्राप्त करने के हकदार नहीं है। उनका कथन है कि वादी प्रत्यर्थीगण का वाद सर्वप्रथम दिनांक 17–11–1973 को डिक्री किया गया, जिसके आधार पर उनका नाम राजस्व रिकार्ड में

खातेदार के रूप में दर्ज हुआ। सम्वत् 2033 एवं इसके पश्चात् की खसरा गिरदावरियों व लगान की रसीदों को वादी के पक्ष में साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह न्यायालय के आदेश से खातेदार दर्ज हुआ। उनका कथन है कि वादी ने सम्वत् 2012 की न तो जमाबन्दी प्रस्तुत की है ना ही सम्वत् 2012 से 2033 की खसरा गिरदावरियां प्रस्तुत कर प्रदर्श करवायी गयी है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। उनका कथन है कि प्रत्यर्थीगण विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त रहे है तथा राजकीय भूमि पर विपरीत कब्जे का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। उनका कथन है कि विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में सिवाय चक दर्ज होकर राजकीय भूमि है, जिस पर वादी द्वारा नाजायज अतिक्रमण किया गया, जिसे नियमानुसार बेदखल किया गया। उनका कथन है कि बिना दस्तावेजी साक्ष्य के विवादित आराजी पर वादी को पुराना कब्जा नहीं माना जा सकता है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विवादित आराजी पर वादी प्रत्यर्थीगण का पुराना कब्जा काश्त मानने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। योग्य राजकीय अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विलम्ब के सम्बन्ध में उदार रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य् किया जावे। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल किया जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पर वादी प्रत्यर्थी का वक्त बन्दोबस्त के पूर्व से कदीमी कब्जा काश्त बहैसियत टीनेन्स पीढी दर पीढी चला आ रहा है, जिस पर वादी काबिज काश्त है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने वादी प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक

त्रुटि कारित की। उनका कथन है कि वादी प्रत्यर्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य यथा लगान की रसीदे इत्यादि प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर अपना कब्जा पुराना होना साबित किया है। उनका कथन है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व से विवादित भूमि प्रत्यर्थीगण के पूर्वज की खातेदारी काश्तकारी की थी, जो गलती से वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई। उनका कथन है कि वादीगण के गवाहान एवं हल्का पटवारी के बयानों से विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व का प्रमाणित होता है। उनका कथन है कि जागीर रिज्यूम्पशन के बाद राज्य सरकार के हल्का पटवारी को लगान अदा किया, जिसकी असल रसीदे पेश की एवं ठीकाना के समय भी जागीरदार को लगान अदा किया जिसकी रसीदे लगान की सम्वत् 2001 की चार रूपये की पेश की तथा दो रसीदे ठीकाना के समय की भी पेश की गयी। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विवादित आराजी पर वादीगण का पुराना कब्जा काश्त सम्वत् 2012 से होना मानते हुए अपील को स्वीकार कर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में देरी बाबत् पर्याप्त एवं सद्भाविक कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र तथा अपील में गुणावगुण पर सुदृढ होने की स्थिति के मद्देनजर आर.आर.टी. 2002(1) पेज 53 तथा आर.बी.जे. 2016 (23) पेज 678 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसरण में प्रकरण में मियाद के बिन्दु को कंडोन किया जा कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य् किया जाता है।

8. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीगण के पूर्वज वादी अलीखां ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के न्यायालय में एक राजस्थान काश्तकारी अधिनिनयम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा भणियाणा के खसरा नम्बर 1646 रकबा 224 बीघा जो वादी की पट्टेशुद्धा भूमि खेत 1596 के पूर्व में आई है और उक्त भूमि उनके पट्टेशुद्धा खेत का ही भाग है, जिस पर पीढियों से काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु बन्दोबस्त विभाग की गलती से उक्त भूमि उनके नाम दर्ज नहीं हुई। अतः वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होना मानकर निर्णय दिनांक 25-09-2000 से खारिज कर दिया। इसके विपरीत अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील को स्वीकार कर वादी प्रत्यर्थीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित कर दिया।

9. प्रस्तुत अपील के गुणावगुण पर निस्तारण करने से पूर्व विधि के निम्नलिखित प्रश्न निहित होने से कायम किये जाते है -

(1) क्या सम्वत् 2012 वर्ष 1955 के पश्चात् राजकीय भूमि पर

काबिज अतिक्रमी को खातेदार घोषित किया जा सकता है ?

(2) क्या राजकीय भूमि पर एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त विधिमान्य है ?

(3) क्या केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर राजकीय भूमि पर खातेदारी की घोषणा दी जा सकती है ?

(4) प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का भलीभांति परीक्षण किया ?

10. प्रस्तुत प्रकरण में वादी प्रत्यर्थीगण का वाद सर्वप्रथम दिनांक 17-11-1973 को डिक्री किया गया। इसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में वह खातेदार दर्ज हो गया। सम्वत् 2033 एवं इसके पश्चात् की खसरा गिरदावरियों व लगान की रसीदों को वादी के पक्ष में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य योग्य नहीं माना जा सकता क्योंकि वह न्यायालय के आदेश से खातेदार दर्ज हुआ। वर्ष 1973 से पूर्व वादी प्रत्यर्थीगण विवादित भूमि पर अतिक्रमी रहा है। अतिक्रमी से लगान नहीं, जुर्माना वसूल किया जाता है। वादी प्रत्यर्थीगण की ओर से अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वर्ष 1960, 1961, 1968 व 1971 की लगान रसीदों में खसरा नम्बर अंकित नहीं होने से उसके स्वयं के खातेदारी खेत खासरा नम्बर 1596 की ही मानी जावेगी, क्योंकि अतिक्रमी से लगान नहीं लिया जाता। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थीगण सम्वत् 2012 में विवादित भूमि पर काबिज काश्त नहीं थे। अतः काश्तकारी अधिनियम, 1955 के किसी भी प्रावधानानुसार वादी विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार नहीं थे।

11. प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने विवादित आराजी की सम्वत् 2012 की न तो जमाबन्दी प्रस्तुत की है, न ही वादी प्रत्यर्थीगण द्वारा सम्वत् 2012 से 2033 तक की खसरा गिरदावरियां प्रस्तुत कर प्रदर्श करवायी गयी है। पटवारी की साक्ष्य किस खसरा नम्बर पर सम्वत् 2015 से 2033 तक गिरदावरी कर

लगान प्राप्त करने का है, स्पष्ट नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में जब वादी प्रत्यर्थीगण खसरा नम्बर 1646 का सम्वत् 2015 से सम्वत् 2033 तक खातेदार ही नहीं था तो उक्त खसरा नम्बर का लगान अदा किया जाना सम्भव नहीं है। लगान केवल खातेदार चुकाता है, अतिक्रमी जुर्माना अदा करता है। जुर्माने की 2–3 रसीद सम्वत् 2043, 2045, 2051 व 2052 की है। यदि सम्वत् 2015 से विवादित भूमि पर प्रत्यर्थीगण का कब्जा मान भी लिया जावे तो भी केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से था, जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 13, 15 व 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी राजस्व अभिलेख राजकीय भूमि राजकीय भूमि दर्ज थी, जिस पर वादी प्रत्यर्थीगण सम्वत् 2012 से निरन्तर काबिज काश्त होना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वादी प्रत्यर्थीगण विवादित आराजी पर खातेदारी का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकतें। जहां तक विवादित राजकीय भूमि पर एडवर्श पजेशन के आधार पर वादी प्रत्यर्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का प्रश्न है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तृतीय अनुच्छेद में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ ने आर आर टी 2011(2) पेज 721 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :–

> Rajasthan Tenancy Act 1955- Sec. 232- Limitation Act, 1963- Article 64&65- Reference- Khatedari rights whether can be conferred on the basis of the adverse possession- provisions of Limitation Act have limited applicability to matters relating to Tenancy Act- No provision to confer tenancy rights on the basis of the adverse possession& Courts can not conferred the tenancy rights- Bor has no legislative power to lay down a new law- Held, No tenancy rights can be conferred on the basis of adverse possession.

मण्डल की बृदह पीठ ने उक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। माननीय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ ने आर आर टी 2011(2) पेज 721

में आर.आर.डी. 1991 पेज 1 के सम्बन्ध में इस प्रकार से मंतव्य व्यक्त किया हैः–

> In the view of this bench the Larger Bench in its judgment 'Bagga vs. Surendra singh' as reported in 1991 RRD page 1 hasa not laid down a good law because the Rajasthan Tenancy Act does not have any provisiion to confer tenancy rights to the adverse possesor. This bench also infers that providing tenancy rights to the adverse possesor is a tetreating step with regard to the land reforms and such a conferment of tenancy rights is against the basic spirit of this special legislation.

माननीय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ ने आर आर टी 2011(2) पेज 721 में अन्त में निम्न प्रकार से निष्कर्ष दिया है :–

> In the of this bench the the judgment of Larger Bench in 'Bagga vs. Surendra singh' as reported in RRD 1991 page 1 being not a good law, deserves to be set aside.

स्पष्ट है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व RRD 1991 page 1 को मिस–रीड करते हुये, मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर विवादित आराजी पर खातेदारी का अनुतोष प्रदान किया गया है, जो प्रावधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने की तिथि से वादी प्रत्यर्थीगण अपना कब्जा काश्त निरन्तर प्रमाणित करने में असफल रहा है। केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर राजकीय भूमि पर वादी प्रत्यर्थीगण को खातेदारी की घोषणा प्रदान नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने केवल मात्र वादी प्रत्यर्थीगण को कथनों पर अधिक बल प्रदान करते हुए अपील को स्वीकार कर वादी प्रत्यर्थीगण का विवादित आराजी पर सम्वत् 2012 से कब्जा काश्त मानने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। जहां तक अधीनस्थ

अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का भलीभांति परीक्षण किये जाने का प्रश्न है, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत लगान रसीदों को कब्जा का आधार माना है, जो गलत है क्योंकि अपीलार्थी वर्ष 1973 से पूर्व विवादित आराजी का खातेदार नहीं होकर केवल मात्र अतिक्रमी था। राजकीय भूमि पर काबिज अतिक्रमी से लगान नहीं, जुर्माना वसूल होता है। प्रस्तुत प्रकरण में जब वादी का कब्जा काश्त सम्वत् 2012 से निरन्तर किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है तो केवल मात्र मौखिक साक्ष्य व अभिकथनों एवं लगान की रसीदों के आधार पर वादी को सम्वत् 2012 से विवादित आराजी काबिज काश्त माना जाना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

13. परिणामतः अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर मु0 बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री 21–05–2003 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पोकरण द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–09–2000 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य